(कैम्प भोपाल)

R. 3796-PBM/13

पुनरीक्षण याचिका क.

प्रस्तुत दिनांक : 26/09/2013

आवेदक :- प्रेमनारायण आयु करीब 57 वर्ष आ0 स्व0 नन्हू कुशवाहा (काछी) निवासी एवं कास्तकार मौजा बोदी तह0 सोहागपुर, जिला होशंगाबाद म0प्र0

//बनाम//

अनावेदकगण :-

1. धनवाई वेवा श्री बाबूलाल काछी
2. लालसहाब आ0 बाबूलाल काछी
3. गेंदालाल आ0 बाबूलाल काछी
4. कोरब आ0 बाबूलाल काछी
5. अशोक कुमार आ0 बाबूलाल काछी

   सभी निवासी ग्राम बोदी, तह-सोहागपुर जिला-होशंगाबाद म0प्र0
6. हरिबाई पुत्री बाबूलाल काछी पत्नि जुगल काछी निवासी लाडस मोहल्ला सोहागपुर, जिला-होशंगाबाद म0प्र0
7. बैजन्तीबाई पुत्री बाबूलाल काछी पत्नि हरवंश निवासी ईश्रपुर, तह-सोहागपुर, जिला-होशंगाबाद म0प्र0
8. कातीबाई पुत्री बाबूलाल पत्नि प्रीतम काछी निवासी ग्राम सिंगवाडा, तह-सोहागपुर, जिला-होशंगाबाद म0प्र0
9. कृष्णाबाई पुत्री बाबूलाल काछी, पत्नि रामनारायण निवासी करनपुर, तह-सोहागपुरी, जिला-होशंगाबाद म0प्र0
10. ताराबाई पुत्री बाबूलाल काछी पत्नि राजेश काछी निवासी कलभेशरा, तह-सोहागपुर, जिला-होशंगाबाद म0प्र0

निरं.....2.....

11. चंदनसिंह आ0 जयराम काछी
    निवासी बोदी, तह-सोहागपुर, जिला-होशंगाबाद
12. हीरालाल आ0 जयराम काछी
    निवासी हाल मुकाम बोदी, तह-सोहागपुर
    जिला-होशंगाबाद म0प्र0

//पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता 1959//

//उत्पन्न//

न्यायालय :- श्रीमान आयुक्त महोदय नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद

राजस्व प्रकरण कं. :- 150/अपील/2011-12

पक्षकार :- प्रेमनारायण बनाम धनबाई एवं अन्य

आदेश दिनांक :- 01.08.2013(जिसके द्वारा द्वितीय अपील खारिज की गई है)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

जिला होशंगाबाद

प्रकरण कमांक निगरानी 3796–पीबीआर / 13

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30–10–2014	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । आयुक्त के आदेश दिनांक 1–8–13 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथम दृष्टया विधिसंगत है कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का नाम सहखातेदार के रूप में दर्ज नहीं है । तहसीलदार के प्रकरण में संलग्न बैनामा दिनांक 2–7–1948 से भी स्पष्ट है कि आवेदक के पिता नन्हू द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का विक्रय जयराम वल्द माधो को किया जा चुका है, ऐसी स्थिति में भी प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक को कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होते हैं । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त कर अभिलेख पूर्ववत किए जाने का आदेश देने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता नहीं की गई है । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में आयुक्त द्वारा द्वितीय अपील निरस्त करने में पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष	